Direct Purchase

Section- 14(2) of APMC Act, 1961 allows direct purchase in Rajasthan. Section 14(2) reads as:

The market committee may also grant Licence, -

(a) for direct purchase from the agriculturists for the following purposes, namely:-
(i) to processor for processing;
(ii) to exporters for export of agricultural produce;
(iii) for trade of agricultural produce of particular specification; and
(iv) for grading, packing and transacting in other way by value addition of agricultural produce:

"Provided that no sale or purchase shall be permitted under this clause within the market-proper except for the purposes specified in sub clause(i) and (iv)."

To know more about the other relevant provisions of APMC Act....Click here

Forms may be downloaded from http://mandi.agriculture.rajasthan.gov.in/form-download.aspx

राज्य की कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा सीधी खरीद संबंधी उपविधि प्रावधान दिनांक 11.11.2009 एवं उसमें किये गये संशोधन दिनांक 22.03.2011 निम्नानुसार है :–

कृषि उपज मण्डी समितियों की उपविधियों में सीधी खरीद संबंधी प्रावधान किये जाने हेतु उपविधियों में संशोधन बाबत् निदेशालय पत्रांक प.3(141)निकृवि/नियमन/सीधी खरीद/31512–647 दिनांक 11.11.2009 द्वारा प्रसारित दिशा–निर्देश

भाग पंचम 'अ' – सीधी खरीद

31. (अ) मण्डी क्षेत्र में मण्डी प्रांगण एवं मार्केट प्रोपर के बाहर अधिसूचित कृषि उपज के सीधी खरीद का विनियम

1. अधिनियम की धारा 14(2) के तहत् जो भी व्यक्ति फर्म अथवा संस्था किसी मण्डी समिति के मण्डी क्षेत्र में निम्न प्रयोजनार्थ मण्डी प्रांगण एवं मार्केट प्रोपर के बाहर अधिसूचित कृषि उपज क्रय करना चाहता है उसे मण्डी समिति का अनुज्ञापत्र प्राप्त करना होगा –
   (i) प्रसंस्करणकर्ताओं को प्रसंस्करण के लिए – प्रसंस्करणकर्ता
   (ii) निर्यातकों को कृषि उपज के निर्यात के लिए – निर्यातक
   (iii) विनिर्देश विशेष की कृषि उपजम` व्यापार के लिए और – जिन्स विशेष व्यापारी
   (iv) कृषि उपज के मूल्य परिवर्धन द्वारा श्रेणीकरण, पैक करना और अन्य प्रकार से संव्यवहारः– मूल्य परिर्वधनकर्ता

   परन्तु कोई भी विक्रय या क्रय के अधीन मुख्य मण्डी अथवा मार्केट प्रोपर के अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।
2. अनुज्ञापत्र अधिसूचित विशिष्ठ कृषि उपज ( ) परन्तु एक ही अनुज्ञापत्रधारी को एक से अधिक कृषि उपज क्रय करने की अनुमति दी जा सकेगी। सीधी खरीद आवेदित उद्देश्य के लिए अनुज्ञेय होगी, क्रय की गई। कृषि उपज का उपयोग अन्य उद्देश्य से नही किया जा सकेगा।

परन्तु यह ओर भी है कि मण्डी क्षेत्र में मण्डी प्रांगण एवं मार्केट प्रोपर के बाहर अधिसूचित कृषि उपज का क्रय करने की उसी व्यक्ति फर्म अथवा संस्था को जो कि वित्तीय वर्ष में निम्न वर्णित मात्रा से अधिक मात्रा में अधिसूचित कृषि उपज क्रय करने के लिए वचनबद्ध हो एवं उसकी नेटवर्थ कम से कम निम्नानुसार हो :–

क्र.सं.	अधिसूचित कृषि उपज	न्यूनतम मात्रा (मै.टन)	नेटवर्थ
1	चना	2000	1 करोड
2	गेंहूँ	2000	1 करोड
3	सोयाबीन	2000	1 करोड
4	कपास	1000	1 करोड
5	सरसों	2000	1 करोड
6	मूंगफली	2000	1 करोड
7	जौ	2000	1 करोड
8	ग्वार	2000	1 करोड
9	मूंग	2000	1 करोड
10	मोठ	1000	1 करोड
11	सब्जियां	500	1 करोड
12	मसाले	500	1 करोड
13	अन्य खाद्यान्न, दलहन अथवा तिलहन	1000	1 करोड

अनुज्ञापत्रधारी फर्म द्वारा घोषित एवं वचनबद्ध मात्रा में अधिसूचित कृषि उपज का क्रय करने में असफल रहता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार एवं राज. कृषि उपज का क्रय करने में असफल रहता है तो उसके विरूद्ध नियमनुसार एवं राज. कृषि उपज विपणी अधिनियम, नियम, उपविधियों एवं अनुज्ञापत्रों की शर्तों के तहत् कार्यवाही की जावेगी।

3. उक्त अनुज्ञापत्र स्वीकृत करने एवं प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिनियम की धारा 14(2) एवं नियम 69 के तहत् की जायेगी।

4. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न घोषणा पत्र में घोषित दैनिक क्रय क्षमता के अनुसार एक दिन के अधिकतम खरीद मूल्य के बराबर आमनत/प्रतिभूति की राशि की सावधि (एफ.डी. आर. – जो आहरण के लिए आवेदक द्वारा मण्डी समिति के पक्ष में हस्ताक्षरित हो) मण्डी समिति के पक्ष में जमा कराई जायेगी। आवेदक द्वारा धारा 15डी के उपबन्धों के अधीन विक्रेता को अधिसूचित कृषि उपजों का भ्ज्ञुगतान न करने की स्थिति में समिति द्वारा किसी भी समय इस अमानत/प्रतिभूति राशि का आहरण कर विक्रेता के बकाया भुगतान की पूर्ति की जावेगी।

परन्तु राज्य सरकार के उपक्रम जो मण्डी प्रांगण के बाहर क्रय केन्द्र स्थापित कर अधिसूचित कृषि उपजों का क्रय करना चाहते है, के लिए आवेदन पत्र के साथ अमानत/प्रतिभूति की राशि मण्डी समिति के पक्ष में जमा कराना अनिवार्य नहीं रहेगा, बशर्ते है कि ऐसा शासकीय उपक्रम किसी भी स्थिति में मण्डी समिति का व्यतिक्रमी नही हो।

परन्तु यह ओर भ्झी कि ऐसे शासकीय उपक्रम को अधिसूचित कृषि उपजों के विक्रेताओं को भुगतान के संबंध में अधिनियम 15डी के उपबन्धों का यथावत पालन करना होगा।

5. अनुज्ञप्ति हेतु प्राप्त आवेदन पर विचार उपरान्त मण्डी क्षेत्र में क्रय केन्द्रों के उल्लेख के साथा नियमों के साथ संलग्न प्रारूप 8 में मण्डी समिति द्वारा अनुज्ञप्ति जारी की जावेगी। आवेदक द्वारा प्ररूप 7 क्रय केन्द्र के रूप में प्रस्तावित स्थाल का मण्डी समिति द्वारा निरीक्षण कर क्रय केन्द्रों के स्थान का निर्धारण किया जायेगा। इस प्रकार निर्धारित किया जाने वाला क्रय केन्द्र आवेदक के प्रसंस्करण संयत्र अथवा उसके प्रांगण परिसर से भिन्न मण्डी क्षेत्र के किसी भी स्थान पर होगा। क्रय केन्द्र के सुचारू संचालन हेतु समन्वय व नियंत्रण की दृष्टि से विचार उपरान्त मण्डी समिति आवश्यक संख्या में क्रय केन्द्रों की स्थापना हेतु अनुमति देगी।

6. (1) अनुज्ञप्तिधारी को मण्डी क्षेत्र में मण्डी समिति की पूर्व अनुमति से ही निर्धारित स्थलों पर ही कृषि उपज क्रय करने की अनुमति होगी। इन स्थलों को क्रय केन्द्र कहा जायेगा। क्रय केन्द्र पर तौल की मानक व्यवस्था कृषकों के लिए विक्रेता को उसी दिन मूल्य भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व अनुज्ञापत्रधारक का होगा। क्रय केन्द्र पर कृषकों के लिए स्वच्छ पेयजल, उचित प्रकाश ..... छांव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व भी अनुज्ञप्तिधारक का होगा।

(2) अधिसूचित कृषि उपज का मण्डी प्रांगण में गत दिवस उपलब्ध हुआ न्यूनतम व अधिकतम मूल्य क्रय केन्द्र पर सहज दृष्टि गोचर स्थल पर कम से कम 3′ X 2′ आकार का सूचना बोर्ड लगाकर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदर्शित किया जायेगा। घोषित समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर किसी भी अधिसूचित कृषि उपज क क्रय नहीं किया जायेगा।

(3) क्रय केन्द्र पर इलेक्ट्रोनिक तौल कांटा स्थापित करना होगा। ऐसे तौल कांटे का आपेरटर मण्डी समिति का अनुज्ञापत्रधारी होगा जिसे तौला कहा जायेगा। क्रेता द्वारा उपलब्ध कराई गई पुस्तिका से तौला द्वारा तौल पर्ची जारी की जायेगी, तौला हेतु समस्त पारिश्रमिक क्रेता द्वारा देय होगा।

7. अनुज्ञप्तिधारी को क्रय केन्द्रवार की गर्ठ कृषि उपज की साप्ताहिक जानकारी मण्डी समिति को परिशिष्ठ 14 में सप्ताह पूर्ण होने के 3 दिन में अनिवार्यतः प्रस्तुत करनी होगी।

8. (1) अनुज्ञप्तिधारी को क्रय केन्द्र पर क्रय करने के दिन एवं समय की पूर्व सूचना मण्डी समिति को देनी होगी। निर्धारित दिन से भिन्न दिनों में क्रय नहीं किया जायेगा।
(2) क्रय केन्द्र पर कृषक वार क्रय की गई कृषि उपज एवं उसके परिवहन के संबंध में परिशिष्ठ 15 पंजिका संघारित करना होगी एवं इसे मण्डी समिति के अधिकारियों/कर्मचारियों के अवलोकन हेतु उपलब्ध करवाना होगा।
(3) प्रत्येक क्रय केन्द्र पर मण्डी समिति केन्द्र प्रभारी आवश्यकतानुसार अन्य स्टाफ भी तैनात किया जायेगा। क्रय केन्द्र पर प्रभावी आवश्यकतानुसार अन्य स्टाफ भी तैनात किया जायेगा। क्रय केन्द्र पर प्रभावी नियमन सुनिश्चित करने के लिये केन्द्र प्रभारी मण्डी समिति के प्रति उत्तरदायी होगा। क्रय केन्द्र प्रभारी प्राप्त शिकायतों को प्रभारी मण्डी समिति के प्रति उत्तरदायी होगा। क्रय केन्द्र प्रभारी प्राप्त शिकायतों को शिकायत पंजिका में दर्ज कराने के उपरानत जांच कर उनका निराकरण करेगा। प्राप्त शिकायतों के स्वरूप व उनके निराकरण की जानकारी क्रय केन्द्र प्रभारी द्वारा मण्डी समिति को उपलब्ध कराई जायेगी। किसी भी शिकायत संदर्भ पर क्रय केन्द्र प्रभारी द्वारा किया गया निराकरण समाधानकारी प्रतीत न होने पर मण्डी समिति आगे जांच करवा सकेगी।

9. क्रय केन्द्र पर एक दिन में एक कृषक/उत्पादन उत्पादक (विक्रेता) से क्रय की गई भिन्न कृषि उपजों एवं भिन्न दरों पर क्रय की गई कृषि उपज के संबंध में मण्डी समिति द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को जारी विक्रय पर्ची में तीन प्रतियों में विक्रय पर्ची तैयार करनी होगी। सौदा पत्रक की एक प्रति विक्रेता को, एक प्रति मण्डी समिति को एवं एक प्रति अनुज्ञप्तिधारी को अपने पास संघारित करना होगा। सौदा पत्रक में मय मूल्य एवं अनुज्ञप्ति अनुसार कृषि उपज की तौल मण्डी समिति द्वारा इस बाबत अनुज्ञप्तिधारी तुतैया से क्रय केन्द्र पर ही करना होगा एवं तौल अनुसार क्रय की गई कृषि उपज के मूल्य का भुगतानक्रय उपरान्त उसी दिन नगद अथवा ..... से करना होगा। अनुज्ञप्तिधारक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके खाते में आवश्यक धन राशि के अभाव में चैक वापिस होने की स्थिति निर्मित न हो। भुगतान के प्रमाणक के रूप में मण्डी समिति द्वारा निर्धारित विक्रय पर्ची पर विक्रेता से प्राप्त की जाना आवश्यक होगा एवं एक प्रति मण्डी समिति को अगले दिन भेजे जाने वाली प्रति के साथ तौल पर्ची भी संलग्न करनी होगी।

10. क्रय केन्द्र पर क्रय की गई अधिसूचित कृषि उपजों के परिवहन अथवा निर्गमन के पूर्व अनुज्ञप्तिधारी को परिशिष्ठ 12 अनुज्ञापत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। क्रय केन्द्र पर क्रय की गई समस्त अधिसूचित कृषि उपजों के विक्रेताओं को देय मूल्य एवं देय मण्डी फीस तथा अन्य शुल्क के सम्पूर्ण भुगतान को सुनिश्चित करने के पश्चात् ही मण्डी समिति द्वारा नियुक्त क्रय केन्द्र प्रभारी द्वारा अनुज्ञापत्र जारी किया जायेगा।

11. क्रय/विक्रेता – सौदा अनुसार कृषि उपज का मूल्य प्राप्त न होने पर, मण्डी समिति को शिकायत कर सकेगा, अधिसूचित कृषि उपजों के क्रय विक्रय से संबंधित किसी भी विवाद या शिकायत पर दोनों पक्षों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर प्राप्त शिकायत एवं विवाद का निराकरण किया जायेगा।

परिशिष्ठ 13

घोषणा पत्र

1. मैं/हम एतद् द्वारा यह घोषणा करता हूँ/करते है कि मण्डी क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उपजों के कम हेतु मेरे/हमारे द्वारा स्थापित कय केन्द्रों की अधिकतम दैनिक कय क्षमता ...... क्विंटल है तथा एक दिन अधिकतम खरीदी का मूल्य ..... रूपया होता है।
2. मैं/हम यह भी घोषित करते है कि मेरे/हमारे कय केन्द्र पर कय की गई अधिसूचित कृषि उपज का पूरा भुगतान विकेता को मण्डी अधिनियम की धारा 15डी के उपबंधो के अधीन उसी दिन किया जावेगा।
3. मै/हम यह भी घोषणा करते है कि धारा 15डी के उपबंधों के उल्लंघन की स्थिति में धारा 15डी के अधीन 6वे दिन मेरी/हमारी अनुज्ञप्ति स्वतः निरस्त हो जावेगी और मुझे/हमें या हमारे किसी भ्झी नातेदार को आगामी एक वर्ष तक की कालावधि के लिए इस अधिनियम के अधीन कोई अनुज्ञप्ति मंजूर नहीं की जावेगी और इसमें मुझे/हमें कोई आपत्ति नहीं होगी एवं यह भी घोषित किया जाता है कि कय क्षमता को प्रमाणित करने के लिए जो व्यक्तिगत प्रतिभूति का प्रमाण पत्र पस्तुत किया गया है उसे रद्द समझाा जावेगा।
4. मेरे/हमारे द्वारा यह भी घोषणा की जाती है कि मै/हम घोषित कय क्षमता से अधिक मात्रा में अधिसूचित कृषि उपज का कय नहीं करेंगे। यदि मेरे/हमारे द्वारा घोषित दैनिक कय क्षमता से अधिक मात्रा की खरीदी कय केन्द्रों पर की जाती है अथवा यदि मेरी/हमारी दैनिक कय क्ष ामता में वृविद्ध होती है तो इसके लिए मेरे/हमारे द्वारा कय क्षमता में वृद्धि के अनुपात में कय मूल्य की अतिरिक्त अमानत/प्रतिभूति राशि की सावधि (एफ.डी.आर.) मण्डी मिति के पक्ष में तत्काल प्रस्तुत की जावेगी।
5. मै/हम यह घोषणा करता हूँ/करते है कि यदि मेरे/हमारे द्वारा उपरोक्तानुसार घोषणा पत्रांक एवं मण्डी अधिनियम, नियम तथा उपविधियों उल्लंघन किया जाता है तो मण्डी समिति को यह पूर्ण अधिकार होगा कि मेरी/हमारी अनुज्ञप्ति रद्द कर दें। मुझे/हमें इसमें कोई आपत्ति/हर्ज नहीं होगा।
6. मै/हम यह भी घोषणा करते है कि मेरे/हमारे नाम पर आवेदन के दिनां को निम्नानुसार चल–अचल सम्पत्ति उपलब्ध है जिस पर हमेरा/हमारा वैधानिक स्वामित्व है :–
   1. चल सम्पत्ति   बैंक का नाम   बैंक में जमा राशि
      अ. चालू/करन्ट खाता में जमा राशि
      ब. बचत खातों में जमा राशि
      स. सावधि/फिक्स डिपोजिट में जमा राशि
      द. अन्य जमा राशि

      योग

      ---

   2. अचल सम्पत्ति–   स्थान   रकबा क्षेत्रफल   अनुमानित बाजार मूल्य
      अ. भूमि
      ब. भवन/दुकान/कारखाना/गोदाम
      स. अन्य संपत्ति

मैं/हम यह भी पूर्ण सत्यता के साथ घोषित करते है कि मेरे/हमारे द्वारा उपरोक्तानुसार की गई घोषणा पूर्णतः सत्य है एवं प्रमाणित है।

स्थानः
दिनांकः

हस्ताक्षर
आवेदक का नाम
पूरा पता

राजस्थान सरकार
कृषि विपणन निदेशालय,जयपुर

क्रमांकः प.3 (141)पार्ट/निकृवि/नियमन/सीधी खरीद/11/59921–60058 दिनांकः 22.03.2011

समस्त सचिव,

कृषि उपज मण्डी समिति।

विषय– कृषि उपज मण्डी समितियों की उपविधियों में सीधी खरीद संबंधी प्रावधानों में संशोधन बाबत ।

प्रसंग– निदेशालय के परिपत्र क्रमांक 31512–647 दिनांक 11.11.09।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रांसगिक परिपत्र के द्वारा कृषि उपज मण्डी समितियों की आदर्श उपविधियों में सीधी खरीद संबंधी प्रावधान किये जाकर उपविधियों के भाग पंचम 'अ' मय धोषणा पत्र, प्रारूप एवं परिशिष्ट के भिजवाये गये थे। निदेशालय स्तर पर विभागीय समीक्षा बैठक उपरान्त लिए गये निर्णय के क्रम में उक्त उपविधियों में निम्नानुसार संशोधन किया जा रहा है–

प्रावधान का क्रमांक	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
बिन्दुं सं 2– न्यूनतम क्रय मात्रा मै.टन में	फल एवं सब्जी 500 मै.टन मसाले 500 मै.टन दलहन 1000 मै.टन अन्य 2000 मै.टन	समस्त फल एवं सब्जी 500 मै.टन समस्त मसाले 500 मै.टन समस्त दलहन 500 मै.टन देशी एवं नरमा कपास 500 मै.टन समस्त तिलहन 1000 मै.टन समस्त अन्य खाधान्न 1000 मै.टन (ग्रुपवाईज न्यूनतम क्रय मात्रा)
बिन्दु संख्या 2 – आवेदक की नेटवर्थ	एक करोड रू	0.50 करोड रूपये (पचास लाख रूपये)
बिन्दु संख्या 4– अमानत/ प्रतिभूति राशि	दैनिक क्रय क्षमता के अनुसार एक दिन के अधिक खरीद मूल्य के बराबर की एफ.डी.आर. /अमानत/प्रतिभूति राशि	एक दिन की क्रय क्षमता के औसत खरीद मूल्य के बराबर की अमानत/ प्रतिभूति राशि/बैंक गारन्टी
बिन्दु संख्या 5– खरीद केन्द्र	खरीद केन्द्र प्रसंस्करण संयत्र अथवा उसके प्रांगण से भिन्न मण्डी क्षेत्र के किसी भी स्थान पर होगा	मण्डी अधिनियम की धारा 14 (2 i & iv) में वर्णित प्रयोजनों हेतु मार्केट प्रोपर में भी सीधी खरीद अनुज्ञेय है। साथ ही अन्य प्रयोजनों हेतु मण्डी क्षेत्र में कृषि जिन्सों की सीधी खरीद अनुज्ञेय है। परन्तु मार्केट प्रोपर अथवा मण्डी क्षेत्र जैसी भी स्थिति हो पर सीधी खरीद अगर प्रसंस्करण संयत्र पर ही होती है तो ऐसी दशा में कृषि जिन्सों की आवक एवं

		जावक के लिए पृथक से गेट होंगे तथा पृथक से गोदाम भी होगा एवं वहां समस्त अभिलेखों का संधारण अनिवार्य होगा।
बिन्दु संख्या 6(3)– तौल कांटा स्थापित करना	क्रय केन्द्र पर इलेक्ट्रोनिक तौल कांटा स्थापित करना अनिवार्य है।	क्रय केन्द्र पर इलेक्ट्रोनिक तौल कांटा अथवा इलेक्ट्रोनिकली तौल की सम्पूर्ण व्यवस्था आवश्यक है ।

कृषि उपज मण्डी समितियों की उपविधियों में उक्तानुसार सीधी खरीद बाबत संशोंधित प्रावधान के लिए मण्डी समिति का प्रस्ताव पारित कर संशोधित प्रावधानों को सम्मिलित किया जावें। इस बाबत राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 की धारा 37 में निहित शक्तियों के प्रयोग में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

निदेशक
कृषि विपणन

क्रमांकः प.3 (141)पार्ट/निकृवि/नियमन/सीधी खरीद/11/59921–60058 दिनांकः 22.03.2011

प्रतिलिपि– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. समस्त क्षेत्रीय उप/सहायक निदेशक,कृषि विपणन विभाग,..... को भेजकर लेख है कि आपके क्षेत्राधिकार की कृषि उपज मण्डी समितियों की उपविधियों में उक्तानुसार सीधी खरीद बाबत संशोधित प्रावधान होना सुनिश्चित करावें।

निदेशक
कृषि विपणन